



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112021-230998
CG-MH-E-10112021-230998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943

No. 545]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 नवम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेवी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/56.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसरे दिन लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—
 - I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (थ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(थ) “म्यूचुअल फंड” (पारस्परिक निधि) का अर्थ है - वह फंड, जो न्यास (ट्रस्ट) के रूप में बनाया गया हो, ताकि प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़), मुद्रा बाजार के लिखतों (मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स), सोने या सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स), चांदी या चांदी से संबंधित लिखतों, रियल इस्टेट आस्तियों (असेट्स) और ऐसी अन्य आस्तियों तथा लिखतों, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ, में निवेश करने के लिए एक या एक से अधिक स्कीमों के तहत जनता या जनता के किसी वर्ग को यूनितें बेचकर पैसा जुटाया जा सके:

परंतु यह कि अवसंरचना ऋण निधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड) स्कीम, इन विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अध्यक्षीन, यूनितों के प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी स्थानन) के जरिए पैसा जुटा सकेंगी:

परंतु यह और कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्नियों) में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीमों ऐसे कॉण्ट्रैक्ट्स के वास्तविक निपटान (फिज़िकल सेटलमेंट) के मामले में अंडरलिंग वस्तुएँ रख सकेंगी;”

ii. खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“(बक) “सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम” का अर्थ होगा - म्यूचुअल फंड की वह स्कीम, जो मुख्य तौर पर चांदी या चांदी से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) में निवेश करती हो;

(बख) “चांदी से संबंधित लिखत (इंस्ट्रुमेंट)” का अर्थ होगा - बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाने वाला ऐसा कोई लिखत, जिसकी अंडरलाइंग वस्तु चांदी हो;”

II. विनियम 7 का खंड (छ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,

“(छ) इन विनियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) या वस्तुओं या रखे गए सोने अथवा सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) या रखी गई चांदी अथवा रखे गए चांदी से संबंधित लिखतों या रखी गई अन्य आस्तियों (असेट्स) को अभिरक्षा (कस्टडी) में रखने के लिए, और अन्य अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने [जैसा न्यासियों (ट्रस्टीज़) द्वारा प्राधिकृत किया जाए] के लिए, अभिरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति।”

III. विनियम 26 के उप-विनियम (1) में,

i. पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम के मामले में, स्कीम की आस्तियाँ [यानि कि चांदी या चांदी से संबंधित लिखतें (इंस्ट्रुमेंट्स)] बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत अभिरक्षक (कस्टोडियन) की अभिरक्षा (कस्टडी) में रखी जा सकेंगी:”

IV. विनियम 43 में,

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ड) के पश्चात् और खंड (च) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(डक) चांदी या चांदी से संबंधित लिखतें (इंस्ट्रुमेंट्स);”

ii. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(6) किसी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (व्यापारित निधि) स्कीम के तहत जुटाए गए पैसे का निवेश विनियम 44 के उप-विनियम (6) के अनुसार केवल चांदी या चांदी से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) में ही किया जाएगा।”

V. विनियम 44 में,

i. उप-विनियम (1) का परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि सातवीं अनुसूची की कोई भी बात (उसके खंड 14 को छोड़कर) गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम के प्रति लागू नहीं होगी।”

ii. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(6) सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम निम्नलिखित निवेश संबंधी सीमाओं आदि (निर्बंधनों) के अध्येक्षित होगी:

(क) ऐसी किसी स्कीम के फंड का निवेश [पुनःखरीद (रीपर्चेज) या मोचनों (रिडेम्प्शन) के संबंध में भुगतान करने के लिए पैसों (लिक्विडिटी) की जरूरत को पूरा करने हेतु जितना जरूरी हो उसे छोड़कर], उसके निवेश संबंधी उद्देश्यों के अनुसार, केवल चांदी या चांदी से संबंधित लिखतों (इन्स्ट्रुमेंट्स) में किया जाएगा, जैसा कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रकट किया गया हो; और

(ख) जब तक खंड (क) के अनुसार फंड का निवेश न किया जाए, तब तक म्यूचुअल फंड उस फंड का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालिक जमाओं (शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट्स) में कर सकेगा।”

VI. विनियम 52 के उप-विनियम (4) के खंड (ख) के उप-खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(xii)क) सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम के मामले में, चांदी के भंडारण और उसे संभालने हेतु किए गए आवर्ती खर्चे;”

VII. आठवीं अनुसूची में, पैरा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“3ख. चांदी का मूल्य:

सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम द्वारा रखी गई चांदी का मूल्यांकन, 999.0 भाग प्रति हजार की विशुद्धता वाली चांदी के लिए अमरीकी डॉलर प्रति ट्राय आउंस में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एबीएमए) की सुबह (एएम पर) तय की गई कीमत पर किया जाएगा, हालांकि इसके लिए:

(क) मानक संपरिवर्तन दरों (स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट) के अनुसार मेट्रिक माप में संपरिवर्तन हेतु समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जा सकेगा;

(ख) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा घोषित आरबीआई की संदर्भ दर के अनुसार भारतीय रुपयों में अमरीकी डॉलर के संपरिवर्तन हेतु समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जा सकेगा;

(ग) निम्नलिखित को भी जोड़ा जा सकेगा –

(i) परिवहन और अन्य शुल्क, जो आम तौर पर ऐसी चांदी को लंदन से उस स्थान तक लाने में लगे, जहाँ म्यूचुअल फंड की ओर से वास्तव में उसका भंडारण किया जाता हो; और

(ii) अनुमानित सीमा-शुल्क और अन्य लागू कर एवं शुल्क आदि, जो आम तौर पर चांदी को लंदन से उस स्थान तक लाने में लगे, जहाँ म्यूचुअल फंड की ओर से वास्तव में उसका भंडारण किया जाता हो:

परंतु यह कि ऊपर खंड (ग) के तहत समायोजन उस अनुमानित प्रीमियम के आधार पर किया जा सकेगा, जो आम तौर पर चांदी को उस स्थान तक पहुँचाने (डिलीवर करने) के लिए लिया जाता है जहाँ म्यूचुअल फंड की ओर से उसका भंडारण किया जाता हो:

परंतु यह और कि जहाँ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम द्वारा रखी गई चांदी की विशुद्धता ज्यादा हो, वहाँ इस उप-पैरा के तहत संदर्भ कीमत (रेफरेंस प्राइस) के तौर पर सुबह (एएम पर) तय की गई एलबीएमए की संबंधित कीमतें ली जाएंगी।”

अजय त्यागी ,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./410/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - (1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा
 - (4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
 - (5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
 - (6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
 - (7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
 - (8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
 - (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
 - (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
 - (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
 - (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
 - (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा

- (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
- (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्टूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं.एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा
- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा

- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा

- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा
- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्टूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा
- (54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा
- (55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/36, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS)

(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, —
 - I. In sub-regulation (1) of regulation 2,
 - i. clause (q) shall be substituted with the following clause, namely, —

“(q) “mutual fund” means a fund established in the form of a trust to raise monies through the sale of units to the public or a section of the public under one or more schemes for investing in securities, money market instruments, gold or gold related instruments, silver or silver related instruments, real estate assets and such other assets and instruments as may be specified by the Board from time to time:

Provided that infrastructure debt fund schemes may raise monies through private placement of units, subject to conditions specified in these regulations:

Provided further that mutual fund schemes investing in exchange traded commodity derivatives may hold the underlying goods in case of physical settlement of such contracts.”

- ii. after clause (w), the following clauses shall be inserted, namely, –

“(wa) “silver exchange traded fund scheme” shall mean a mutual fund scheme that invests primarily in silver or silver related instruments;

(wb) “silver related instrument” shall mean such an instrument as may be specified by the Board from time to time, which has silver as the underlying product;”

- II. Clause (g) of regulation 7 shall be substituted following clause, namely,

“(g) appointment of custodian in order to keep custody of the securities or goods or gold or gold related instruments or silver or silver related instruments or other assets of the mutual fund held in terms of these regulations, and provide such other custodial services as may be authorised by the trustees.”

- III. In sub-regulation (1) of regulation 26,

- i. after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided further that in case of a silver exchange traded fund scheme, the assets of the scheme being silver or silver related instruments may be kept in the custody of a custodian registered with the Board:”

- ii. in the fourth proviso, the word “also” shall be substituted with the word “further”.

- IV. In regulation 43,

- i. after clause (e) and before clause (f) in sub-regulation (1), the following clause shall be inserted, namely, –

“(ea) silver or silver related instruments;”

- ii. after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely, –

“(6) Moneys collected under any silver exchange traded fund scheme shall be invested only in silver or silver related instruments, in accordance with sub-regulation (6) of regulation 44.”

- V. In Regulation 44,

- i. in proviso to sub-regulation (1), after the words “gold exchange traded fund scheme”, the words, “and silver exchange traded fund scheme” shall be inserted.

- ii. after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely, –

“(6) A silver exchange traded fund scheme shall be subject to the following investment restrictions:

(a) the funds of any such scheme shall be invested only in silver or silver related instruments in accordance with its investment objective, except to the extent necessary to meet the liquidity requirements for honouring repurchases or redemptions, as disclosed in the offer document; and

(b) pending deployment of funds in accordance with clause (a), the mutual fund may invest such funds in short-term deposits of scheduled commercial banks.”

- VI. After sub-clause (xiia) of clause (b) of sub-regulation 4 of regulation 52, the following sub-clause shall be inserted, namely, –

“(xiiaa) in case of a silver exchange traded fund scheme, recurring expenses incurred towards storage and handling of silver;”

- VII. In Eighth Schedule, after para 3A, the following para shall be inserted, namely, -

“3B. Value of Silver:

The silver held by a silver exchange traded fund scheme shall be valued at the AM fixing price of London Bullion Market Association (LBMA) in US dollars per troy ounce for silver having a fineness of 999.0 parts per thousand, subject to the following:

- (a) adjustment for conversion to metric measure as per standard conversion rates;*

(b) adjustment for conversion of US dollars into Indian rupees as per the RBI reference rate declared by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI); and

(c) addition of-

(i) transportation and other charges that may be normally incurred in bringing such silver from London to the place where it is actually stored on behalf of the mutual fund; and

(ii) notional customs duty and other applicable taxes and levies that may be normally incurred to bring the silver from London to the place where it is actually stored on behalf of the mutual fund:

Provided that the adjustment under clause (c) above may be made on the basis of a notional premium that is usually charged for delivery of silver to the place where it is stored on behalf of the mutual fund:

Provided further that where the silver held by a silver exchange traded fund scheme has a greater fineness, the relevant LBMA prices of AM fixing shall be taken as the reference price under this sub-paragraph."

AJAY TYAGI ,Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./410/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
- (2) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
- (3) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
- (4) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
- (5) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
- (6) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
- (7) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
- (8) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
- (9) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
- (10) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
- (11) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).
- (12) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
- (13) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).

- (14) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
- (15) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
- (16) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
- (18) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
- (19) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).
- (20) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (30) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) on August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.
- (33) on February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) on September 26, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) on April 16, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) on June 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) on August 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.

- (38) on May 6, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) on December 30, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) on May 15, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) on February 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.
- (43) on February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) on March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.
- (45) on May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.
- (46) on December 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) on December 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) on January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) on April 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.
- (50) on September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) on March 06, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.
- (52) on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) on October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.
- (54) on February 4, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/08.
- (55) on August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (56) on August 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/36.